



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241843
CG-DL-E-10012023-241843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]
No. 105]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

का.आ. 111(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 40.100 कि.मी. से 97.700 कि.मी. तक के भूखंड (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम, जिला वाशिम, महाराष्ट्र, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों

की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भुरेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 पर प्रस्तावित के 40.100 कि.मी. से 97.700 कि.मी. तक (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वाशिम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मालेगाव					
गांव का नाम: अमानी					
1	135	निजी	एग्रीकल्चर	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
तालुक का नाम: वाशिम					
गांव का नाम: घोडबाभूलगांव					
1	13(2B)	निजी	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
गांव का नाम: जांहरूण परांडे					
1	145	निजी	एग्रीकल्चर	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
2	198	निजी	एग्रीकल्चर	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: पंचाला					
1	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
2	229/66A	निजी	एग्रीकल्चर	0.0074000(हेक्टेयर)	0.0074000
3	229/66B	निजी	एग्रीकल्चर	0.0055000(हेक्टेयर)	0.0055000

गांव का नाम: सावरगांव बरडे					
1	342	निजी	एग्रिकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.3329	0.3329

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O. 111(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH161 including bypasses in the stretch of land from **Km. 40.100 to Km. 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section)** in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the **Sub-Divisional Officer & Land acquisition officer, Washim, Dist. Washim** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 40.100 to Km. 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) of the National Highways No. 161 in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: WASHIM		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Malegaon					
Village: Amani					
1	135	Private	Agriculture	0.1200000(Hectare)	0.1200000
Taluk: Washim					
Village: Ghodbabhulgaon					
1	13(2B)	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
Village: Jambhrun Parande					
1	145	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
2	198	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Panchala					

1	228	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
2	229/66A	Private	Agriculture	0.0074000(Hectare)	0.0074000
3	229/66B	Private	Agriculture	0.0055000(Hectare)	0.0055000
Village: Sawargaon Barde					
1	342	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.3329	0.3329

[F. No. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director